प्रेस विज्ञप्ति

सीएसई के नए अध्ययन के अनुसार, हरित मंजूरी प्रणाली, पर्यावरण और लोगों के लिए कारगर नहीं है और यह मंजूरी विकास में बाधक नहीं है

- **विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के नए आकलन से पता चलता है कि पिछले पाँच वर्षों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अभूतपूर्व पैमाने पर मंजूरी दी जा रही है**
- **निष्कर्षों से पता चलता है कि पर्यावरण से संबंधित विचार भारत के विकास में बाधक साबित हो रहे हैं**
- **सीएसई महानिदेशक सुनीता नारायण पूछती हैं कि ''क्या वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी विकास के लिए समस्या बन रही है? या कोई दूसरी बात है – क्या ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समस्या हैं?''**
- **मंजूरी देने की वर्तमान प्रणाली स्पष्ट रूप से कारगर नहीं है। वे बेहतर विनियमों और अधिक प्रभावी निगरानी व्यवस्था की जरूरत है।**

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2011: आजकल कुछ समय से, उद्योग, सरकार और नियामक एजेंसियां लगातार इस विषय पर बात कर रही हैं कि कैसे पर्यावरणीय विनियमों ने देश के विकास का गला घोंट दिया है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई है कि कैसे वन एवं पर्यावरणीय मंजूरी प्रणाली ने भारत के ऋण स्तर को निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया है। और उन्होंने कड़े शब्दों में शिकायत की है कि कैसे पर्यावरणविद उद्धार के लिए देश और इसके लोगों को सामने ला रहे हैं।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (सीएसई) के एक नए आकलन के अनुसार, इनमें से सभी दलीलें सरासर बेतुकी हैं।

सीएसई ने 2007 से अगस्त 2011 तक 11वें पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी पर्यावरण एवं वन मंजूरी का एक व्यापक विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है – ताप शक्ति, जल शक्ति, सीमेंट, लौह एवं इस्पात और खनन – और प्राप्त कठोर आंकड़ों से यह साबित होता है कि मंजूरी का परिमाण "अभूतपूर्ण" से कम नहीं रहा है।

सीएसई महानिदेशिका सुनीता नारायण ने आज यहाँ आकलन रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि "पर्यावरण के विनियमों को विकास बाधक के रूप में देखा गया है लेकिन बाधा कहाँ है? हम देख रहे हैं कि सभी धमकियों के बावजूद, लगभग प्रत्येक परियोजना को भयावह संगति के साथ मंजूरी मिल रही है जो हमारी नियामक प्रणालियों को सरासर एक मजाक बना रहा है।"

आकलन में क्या पता चला है

- 2007 और अगस्त 2011 के बीच की अवधि में, 8284 परियोजनाओं को वन मंजूरी प्रदान की गयी और 203576 हेक्टेयर वन भूमि को दूसरे काम में लगाया गया।

- यह विपथन 1981 से विकास परियोजनाओं के लिए दूसरे काम में लगाई जाने वाली संपूर्ण वन भूमि का लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि वन भूमि विपथन की गति पिछले पाँच वर्षों में दोगुनी हो गयी है।

- केवल एक वर्ष अर्थात् 2009 में लगभग 87883.67 हेक्टेयर वनभूमि को मंजूरी दी गयी।

- दूसरे काम में लगाई गयी वनभूमि का क्षेत्रफल दो बाघ अभयारण्यों के औसत क्षेत्रफल के बराबर और पन्ना या ताडोबा बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्रफल का लगभग चार गुना है।

- इस वनभूमि (50000 हेक्टेयर) के बहुत बड़े हिस्से को खनन और बिजली परियोजनाओं में लगा दिया गया है। केवल एक वर्ष में खनन के लिए दी गयी वनभूमि का अधिकतम आवंटन 2010 में हुआ जिसका परिमाण लगभग 14500 हेक्टेयर था।

- खनन के लिए आवंटित संपूर्ण भूमि के आधे से अधिक हिस्सा कोयला खनन के लिए आवंटित किया गया। 113 कोयला खनन परियोजनाओं को वन मंजूरी दी गयी जो 1981 से किसी भी पंच वर्षीय योजना में मंजूर की गयी अधिकतम संख्या थी।

- 181 कोयले की खानों, 267 ताप शक्ति संयंत्रों, 200 कोयला आधारित ताप शक्ति संयंत्रों, 188 इस्पात संयंत्रों और 106 सीमेंट इकाइयों के लिए वन संबंधी मंजूरी की गयी है। इस विशाल आडम्बर की वजह से लगभग सभी क्षेत्रों में क्षमता का दोहरीकरण हुआ है। हालाँकि, इसमें से लगभग संपूर्ण क्षमता अप्रयुक्त है।

घोटाले की कमाई – क्या हमें सचमुच इन सभी क्षमताओं की जरूरत है?

11वीं पंच वर्षीय योजना की परियोजनाओं का लक्ष्य 50000 मेगावाट अतिरिक्त ताप शक्ति क्षमता है जबकि 12वीं योजना के लिए 100000 मेगावाट की जरूरत है। पिछले पाँच वर्षों में, अगस्त 2011 तक, केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने एक चौंकानेवाली 210000 मेगावाट ताप शक्ति क्षमता के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है – दूसरे शब्दों में, 2017 तक प्रस्तावित क्षमता से यह 60000 मेगावाट अधिक है! इससे भी बदतर हाल यह है कि वास्तव में योजित क्षमता केवल 32394 मेगावाट है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) भारत के कोयले का 90 प्रतिशत से अधिक कोयले का उत्पादन करती है – इसके नियंत्रण में 55000 हेक्टेयर वन क्षेत्र सहित 200000 हेक्टेयर से अधिक पट्टे पर प्राप्त खान क्षेत्र हैं। सीआईएल का अनुमानित कोयला भंडार 64 बिलियन टन है और कंपनी प्रति वर्ष 500 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करती है। तो देश में कोयले की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है?

या निजी कंपनियों द्वारा बंधुआ कोयला खनन के एक्सेस को सहज बनाने के लिए कोयला खनन मंजूरी ही एकमात्र दूसरा तरीका है? आज, कई निजी कंपनी के पास कोयले की खानें हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपना उत्पादन शुरू भी नहीं किया है। कोयला मंत्रालय द्वारा कुछ कंपनियों

को तुरंत अपने खानों को विकसित करने या आवंटित करने की चेतावनी दी है लेकिन कोयला मंत्री की मांग है कि पर्यावरणीय मंजूरी को हटाया जाए ताकि कोयला उत्पादन पर कोई आंच न आए – यह कुछ हद तक बी के चतुर्वेदी समिति ने सुझाव की तरह है (*समिति की रिपोर्ट का संलग्न उद्धरण देखें*)।

सीएसी के उपमहानिदेशक और इस आकलन के प्रमुख लेखक चंद्र भूषण पूछते हैं कि "मंत्रालय इतनी मंजूरी क्यों दे रहा है? पहले से मंजूर कर ली गई परियोजनाओं को और अधिक मंजूरी देने से पहले कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या लोगों की जमीन और पानी पर कोई नया घोटाला होने वाला है?"

संचयी प्रभाव: क्या किसी को परवाह है?

नहीं – कई परियोजनाओं को पहले से ही मंजूरी दे दी गयी है जो सिंगरौली, कोरबा, रायगढ़ और हजारीबाग जैसे गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित हैं। भूषण कहते हैं कि "वर्तमान में, क्षेत्र या जिले पर पड़ने वाले संचयी प्रभाव का आकलन किए बिना सभी परियोजनों को अलग–अलग मंजूरी दी जाती है। यह बात साफ है कि एक बार काम शुरू हो जाने पर ये परियोजनाएं लोगों के जीवन और पर्यावरण को नरक बना देंगी।"

कोयला खनन के मामले को ही ले लीजिए। सभी कोयला खनन क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं और अधिकांश कोयला खनन कंपनियों का बहुत खराब पर्यावरण प्रबंधन रिकॉर्ड है और इनमें से कई स्थान गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) की श्रेणी में आते हैं। प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों की निगरानी से पता चलता है कि परिचालनरत कोयला खानों में से लगभग एक तिहाई खानें सभी पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके बावजूद, सीपीए में कोयला खनन क्षेत्रों को अक्सर नियमित रूप से मंजूरी दी जा रही है (*अवलोकन पर फ़ैक्टशीट 1 देखें*)।

कोयला आधारित ताप शक्ति परियोजनाओं की भी यही कहानी है। शीर्ष 10 जिलों में से, जहाँ इन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गयी है, छः जिलों को पहले ही गंभीर रूप से प्रदूषित घोषित कर दिया गया है।

एमओईएफ ने हाल ही में परियोजनों की निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नारायण का कहना है कि "कोई नहीं जानता कि यह निगरानी प्रणाली कैसे काम करती है। वनों के मामले में, कुछ संकलित जानकारी उपलब्ध है। लेकिन इससे केवल यही साबित होता है कि निगरानी खराब और बदतर है, जो थोड़ी बहुत निगरानी की जाती है वह भी शर्तों को पूरा नहीं करती है।"

सीएसई अध्ययन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वन संबंधी मंजूरी प्राप्त 22264 मामलों में से, 12225 मामलों पर निगरानी रखी गयी (जिनमें से 90 प्रतिशत केवल दो राज्यों में थे) और इनमें से 5091 मामलों को उल्लंघन करता हुआ पाया गया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, इस संबंधी में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

क्या करना चाहिए: सीएसई एजेंडा

वन संबंधी मंजूरी: जब तक एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली लागू नहीं होती तब तक इस प्रक्रिया को रोककर रखा जाना चाहिए

पर्यावरणीय मंजूरी

1. उन मामलों में आगे कोई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए जिन मामलों में मंजूरी लक्ष्य और क्षमता को पार कर गयी हो।
2. ताप शक्ति और कोयला परियोजनाओं के मामले में, बिजली मंत्रालय को इस बात का आकलन करना चाहिए कि मंजूरी प्राप्त इतनी सारी परियोजनाओं को अभी तक शुरू क्यों नहीं किया गया है। उन परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाना चाहिए जिन्हें मंजूरी तो मिल गयी है लेकिन अभी तक उन पर काम शुरू नहीं किया गया है। तब एमओईएफ उसी क्षमता को किसी स्वैप (एसडब्ल्यूएपी) को प्रदान करने पर विचार कर सकता है।
3. एमओईएफ को इस अधिस्थगन अवधि का इस्तेमाल नवीनतम लैफर्ज न्याय में सुप्रीम कोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अपनी नियामक प्रक्रियाओं को मजबूर करने और उसमें सुधार करने के लिए करना चाहिए (*न्याय का संलग्न प्रिंटआउट देखें*)।
4. सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया को मजबूत किया जाना चाहिए जो परियोजनों द्वारा प्रभावित सुनने–सुनाने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो।
5. एमओईएफ को अपने पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना को संशोधित करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह केवल संचयी प्रभाव पर विचार करने के बाद ही परियोजनाओं को मंजूरी देगा।
6. व्यापक पर्यावरण सूचकांक (सीईपीआई) को मजबूत बनाना चाहिए, न कि विघटित करना चाहिए, जो संचयी प्रभावी के आधार पर परियोजनाओं की जाँच की अनुमति देता हो।
7. निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना चाहिए ताकि प्रभावी लोग अनुपालन की शर्तों की जाँच कर सके।

- *संबंधित जानकारी और हमारे फ़ैक्टशीटों को एक्सेस करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.cseindia.org पर जाएँ*
- *किसी भी अतिरिक्त विवरण और जानकारी के लिए, कृपया 9910864339 पर सुपर्णो बनर्जी से संपर्क करें या उन्हें souparno@cseindia.org पर ईमेल करें*